

# समाहरणालय, किशनगंज

(जिला राजस्व प्रशाखा)

--: आम सूचना :-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2019-20 के लिए किशनगंज जिले अन्तर्गत अप्रैल श्रेणी के निम्नलिखित राजस्व हाट/घाट सैरातों की बन्दोबस्ती हेतु दिनांक 19.03.2019 को 02.00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में डाक की जायगी निर्धारित तिथि को बन्दोबस्त नहीं होने की स्थिति में पुनः वैसे सैरातों के नाम के सामने अंकित तिथि को बन्दोबस्ती की जायेगी :-

क्र०	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा राशि	अंचल का नाम	डाक की निर्धारित तिथि			
				प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ
1	2	3	4	5	6	7	
01	बहादुरगंज राजस्व हाट	9,25,750.00	बहादुरगंज	19.03.2019	23.03.2019	25.03.2019	प्रत्येक काय दिवस
02	लोहागाड़ा राजस्व हाट	12,65,000.00	बहादुरगंज				
03	खगड़ा हाट एवं गुदरी	43,12,500.00	किशनगंज				
04	आलमगंज हाट	3,96,750.00	किशनगंज				
05	विशनपुर राजस्व हाट	11,90,250.00	कोचाधामन				
06	बड़बड़ा राजस्व हाट	4,10,636.00	कोचाधामन				
07	टप्पू राजस्व हाट	1,69,941.00	दिघलबैंक				
08	हरुआडांगा राजस्व हाट	3,14,755.00	दिघलबैंक				
09	दिघलबैंक राजस्व हाट	3,66,531.00	दिघलबैंक				
10	छतरगाछ हाट	3,22,500.00	पोठिया				
11	पाठामारी राजस्व हाट	1,16,380.00	ठाकुरगंज				
12	फुलबडिया राजस्व हाट	4,02,040.00	टेढ़ागाछ				
13	मटियारी राजस्व हाट	10,72,217.00	टेढ़ागाछ				
14	लौंचा घाट	4,91,050.00	बहादुरगंज				
15	सतमेढ़ी घाट	2,01,825.00	बहादुरगंज				
16	मटियारी घाट	3,74,000.00	टेढ़ागाछ				
17	झोड़ावासन डुब्बा घाट	1,78,538.00	ठाकुरगंज				
18	पाठामारी घाट	1,01,833.00	ठाकुरगंज				
19	वागरानी मिर्जापूर घाट	32,911.00	पोठिया				

## डाक का शर्त नाम प्रकाश है :-

- वर्ष 2019-20 के लिए राजस्व हाटों/घाटों के सुरक्षित जमा राशि प्रमंडलीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति के अनुमोदन /निर्णय के अनुरूप परिवर्तित हो सकता है।
- डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को सुरक्षित जमा राशि का 25 प्रतिशत राशि डाक में भाग लेने के पूर्व प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करना होगा।
- पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी आचरण प्रमाण-पत्र (अद्यतन) डाक के पूर्व कार्यालय में जमा करना होगा, अन्यथा डाक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को जिला/अनुमंडल/अंचल/संबंधित नगर निकायों से बकाया रहित प्रमाण-पत्र एवं अंचल अधिकारी से आय प्रमाण-पत्र/निर्वासी प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यालय में जमा करना होगा।
- किसी भी हाट/घाट लेसी या संकलन अभिकर्ता के पास राशि बकाया रहने पर उन्हें डाक में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही उनके निकट संबंधी भाई, भतीजा, पुत्र/पुत्री को भी डाक में भाग लेने से रोका जायेगा। उपरोक्त राजस्व हाट/घाटों की बन्दोबस्ती वर्तमान में स्थित राजस्व हाट की जितनी जमीन है, जैसी है, उसी स्थिति के लिए की जायगी और ग्राउण्ड रेन्ट की वसूली उतनी जगह के अनुसार ही की जायगी।
- हाट/घाट की जमीन को किसी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखने तथा हाट साफ-सफाई एवं पानी की सारी व्यवस्था हाट/घाट लेसी को ही अपने व्यय पर करना होगा और हाट/घाट में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से बचाव लेसी को ही करना होगा।



- ☞ सैरात की जमीन पर किसी प्रकार के स्थायी संरचना का निर्माण नहीं किया जायेगा। इसे सुनिश्चित करना हाट/घाट लेसी की जिम्मेवारी होगी।
- ☞ हाट/घाट ग्राउण्ड रेन्ट की वसूली निर्धारित दर पर ही करनी होगी तथा प्रत्येक वसूली स्वयं द्वारा छपाई गई बट्टी रसीद उन्हें निर्गत करनी होगी जिसका व्यय वे स्वयं वहन करेंगे। ग्राउण्ड रेन्ट बोर्ड तालिका या अन्य सूचना चापाकल, हाई ग्रेड वृक्षों की सुरक्षा हाट/घाट लेसी को ही करनी होगी।
- ☞ बाढ़ सुखा एवं अन्य प्राकृतिक विपदाओं पर हाट/घाट नहीं लगने पर बन्दोबस्ती की राशि में किसी प्रकार का छूट अनुमान्य नहीं होगा।
- ☞ किसी भी हालत में किसी भी सम्प्रदाय द्वारा राजस्व हाट/घाट में अस्थाई/ स्थाई कोई भी धार्मिक या मजहबी निर्माण नहीं होने दिया जायेगा। इसकी जवाबदेही हाट ठेकेदार/बन्दोबस्तदार की होगी।
- ☞ संक्रमक रोग या महामारी की स्थिति में हाट लेसी की यह विशेष जवाबदेही होगी कि वे हाट में सड़ी गली वस्तुओं की खरीद बिक्री नहीं होने दे। साफ-सफाई की विशेष व्यवस्था करेंगे। इस क्रम में कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।
- ☞ घाट लेसी को 24 घण्टे दो निबंधित बड़ी नावों को घाटों पर लगानी होगी तथा निर्धारित शुल्क से अधिक की वसूली नहीं करनी होगी। नावों की क्षमता से अधिक एक भी यात्री को किसी भी परिस्थिति में नाव में सवार नहीं कराया जायेगा अन्यथा घाट लेसी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- ☞ घाट लेसी को डाक में भाग लेने के समय उनके पास उपलब्ध नाव की क्षमता से संबंधित प्रमाण-पत्र संबंधित अंचल अधिकारी से प्राप्त कर देनी होगी।
- ☞ डाक समाप्ति के पश्चात् सफल डाक वक्ता को नियमानुसार उच्चतम डाक की राशि एवं निर्धारित स्टाम्प शुल्क / निबंधन शुल्क (बन्दोवस्त राशि का 2% निबंधन शुल्क एवं 6% स्टाम्प शुल्क) डाक समाप्ति के तुरंत बाद जमा करना होगा, अन्यथा अग्रधन की राशि जब्त कर बन्दोवस्ती रद्द कर दिया जायेगा।
- ☞ अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए बन्दोबस्ती अस्वीकृत/ रद्द करने अथवा हाट की नीलामी को निरस्त करने अथवा विभागीय प्रबंध करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।
- ☞ सैरात बन्दोवस्ती के संबंध में कोई भी जानकारी सभी कार्य दिवसों में कार्यालय अवधि में जिला राजस्व प्रशाखा एवं किशनगंज जिला के बेवसाइट [kishanganj.bih.nic.in](http://kishanganj.bih.nic.in) से भी प्राप्त की जा सकती है।

प्रभारी पत्राधिकारी  
जिला राजस्व प्रशाखा  
किशनगंज

अपर समाहर्ता  
किशनगंज

स मा ह र्ता,  
किशनगंज।